तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर बापिणी

न्यायालय सहायक कलेक्टर बापिणी जिला फलोदी

क्रमांक कोर्ट / 2023 / 339

दिनांक :- 20/6/25

प्रेषित,

तहसीलदार बापिणी ।

विषय—माफिक निर्णय की पालना बावत् ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 17/25 अनवान गुमान सिंह V/s तहसीलदार धारा 131, 136 निर्णय दिनांक 13/6/25 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है। अतः आप यदि किसी उच्चतर न्यायालय का स्थगत आदेश ना हो तो नियमानुसार माफिक निर्णय पालना सुनिश्चित करें।

संलग्नः— प्रार्थना पत्र प्रति।

रीडर
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी बापिणी

सहायक कलेक्टर बापिणी

सेवामे,

श्री मान सहायक कलेक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी बापिणी ।

प्रार्थना पत्र संख्या :–

तारीख पेशी :–

प्रार्थी :–

1 गुलाबसिंह पुत्र श्री खुशालसिंह
जाति राजपूत निवासी सन्तोक नगर
तहसील बापिणी जिला फलोदी ।

–: ब ना म :–

अप्रार्थी :–

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 (एक सौ छतीस) आर.एल.आर.एक्ट.
वास्ते तरमीम दुरूस्ती

महोदयजी ,

प्रार्थी की ओर से निम्न निवेदन है कि –

1 यह है कि तहसील बापिणी के ग्राम सन्तोक नगर की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 82 रकबा 3.7555 हैक्टैयर भूमि प्रार्थी के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । चालु जमाबन्दी व नक्शे की नकल साथ मे पेश है ।

2 यह है कि उक्त भूमि पूर्व मे दिंनाक 18.07.1995 को जरिये आदेश कमाक 1372 को एक बीघा भूमि का समर्पण खसरा नम्बर 82 से राज्य सरकार के हक मे कर दिया जिसके खसरा नम्बर 82/1 है तथा समर्पण सुदा भूमि का कब्जा राज्य सरकार के हक मे सुपुर्द कर दिया । उक्त समर्पण नामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे

गुलाबसिंह

हल्का पटवारी ने उक्त भूमि तरमीम कर दी जिसके नक्शे की फोटो प्रति साथ मे पेश है ।

3 यह है कि अभी हाल ही मे दिंनाक 1.5.2025 को हल्का पटवारी सें जमाबन्दी व नक्शे की नकले प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि उपरोक्त समर्पण सुदा भूमि की तरमीम गलत दर्ज हो गई है जब कि वास्तव मे समर्पण सुदा भूमि का कब्जा सलग्न नजरी नक्शा के अनुसार सपुर्द की गई थी । प्रार्थी उक्त गलत की हुई तरमीम को राजस्व रेकर्ड मे तरमीम को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है ।

4 यह है कि सेग्रीगेशन के समय हलका पटवारी व राजस्व कर्मचारियों की भूल व लापरवाही से तरमीम अशुद्ध की गई है। प्रार्थी गलत तरमीम को दुरूस्त करवाकर शुद्ध करवाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम सन्तोक नगर के वर्तमान खसरा नम्बर 82 रकबा 03.7555 हेक्टैयर , खसरा नम्बर 82/1 रकबा 00.1619 हैक्टेयर भूमि का नक्शे में मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार गलत तरमीम को शुद्ध व दुरूस्त किए जाने का आदेश फरमावे।

दिंनाक :– 03.05.25

गुलाबसिंह